संख्या-660/1-10-15-33(157)/2014

प्रेषक,

लीना जौहरी,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बलिया।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ : दिनांक 12 अगस्त, 2015

विषय: तीव्र बाढ़ में बह जाने वाले ग्रामों के विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्स्थापित किये जाने हेतु भूमि क्रय कर नि:शुल्क आवंटन कराये जाने हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर जिलाधिकारी बलिया के पत्र संख्या-1535/सी0आर0ए0-आपदा, दिनांक 09.06.2015 के कम में आयुक्त आजमगढ़ के पत्र संख्या-1656/13-17(2011-14)रा0सहा0, दिनांक 15.06.2015 द्वारा गंगा नदी के कटान से पीड़ित तहसील बलिया के 327 कटान पीड़ित परिवारों को 4.317 हे0 भूमि उपलब्ध कराने हेतु रू0 3,91,85,520/- तथा तहसील बैरिया के 50 कटान पीड़ित परिवारों को 0.676 हे0 भूमि उपलब्ध कराने हेतु रू0 61,47,270/- अर्थात कुल रू0 4,53,32,790/- की धनराशि स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद बलिया के बाढ़ विस्थापितों को पुर्नवासित किये जाने हेतु धनराशि रू0 **4,53,32,790/- (रूपये चार करोड़ तिरपन लाख बत्तीस हजार सात सौ नब्बे मात्र)** निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत नियम एवं शासनादेश के अनुसार नियमानुसार किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा, तथा यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो कोषागार में तत्काल जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा।

4. तीव्र बाढ़ में बह जाने वाले ग्रामों के विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्स्थापित किये जाने हेतु भूमि का क्रय कर नि:शुल्क आवंटन कराये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या- 2010/1-10-2012-33(37)/12-टी.सी.-1, दिनांक 31 जुलाई, 2012 में उल्लिखित व्यवस्था/दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-5" के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-प्राकृतिक आपदायें-08-प्रदेश में विस्थापितों के पुनर्वास हेतु भूमि क्रय-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

6. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एवं के अधीन निर्धारित प्रारूप सख्या- 42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

7. व्यय की गयी धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीया,

(लीना जौहरी)

सचिव एवं राहत आयुक्त ।

संख्या- 660(1)/1-10-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

2- आयुक्त, आजमगढ मण्डल, आजमगढ़।

3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।

4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट **एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन** पर अपलोड किये जाने हेतु ।

5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।

6- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी बलिया ।

7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5

8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/ राजस्व अनुभाग-11/12/13/ राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।

9- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन ।

10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(मदन मोहन)

अनु सचिव।